रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 1971/आषाढ़ 22, 1893
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1971/ASADHA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th July 1971

SUBJECT.—*Procedure for submission of applications by actual users for import of raw materials, components and spares.*

No. 82-ITC(PN)/71.—According to the procedure laid down for submission of applications for import of raw materials, components and spares, the industrial units in the large scale sector and the new units in the small scale sector are required to make their import applications through the sponsoring authorities concerned. Such applicantions are forwarded to the licensing authorities concerned by the sponsoring authorities with their recommendations, and these are considered by the licensing authorities on the basis of the recomendations of the sponsoring authorities.

2. It has been noticed that, in a large number of cases, the actual users, while sending the original import applications to the sponsoring authorities concerned, forward copies thereof, in advance, to the licensing authorities, which is not necessary. The licensing authorities are not required to take action on such advance

copies of the import applications. On the other hand, such advance copies unnecessarily add to the work in the licensing offices. The applicants are, therefore, advised that, in future, they should not send advance copies of import applications to the licensing authorities in cases where the original applicantions are made through the sponsoring authorities.

M. N. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1971

विषय : कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रक्रिया।

सं० 82 आई० टी० सी० (पी० एन०)171.—कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से सम्बन्धित निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, वृहद पैमाने क्षेत्र के औद्योगिक एककों से तथा लघुपैमाने क्षेत्र के नए एककों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना आयात आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रायोजित प्राधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करें। इस प्रकार के आवेदन-पत्रों को प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा उनकी सिफारिश के साथ सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाते हैं, और लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर विचार प्रायोजित प्राधिकारियों की सिफारिश के आधार पर किया जाता है।

2. असंख्य वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में यह बात जानने में आई है कि जब से सम्बन्धित प्रायोजित प्राधिकारियों को मूल आयात आवेदन-पत्र भेजते हैं तो अग्रिम रुप में उसकी प्रति लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजते है, जो अनावश्यक है। लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए आयात आवेदन-पत्रों की इस प्रकार की अग्रिम प्रतियों पर कार्य वाई करनी अपेक्षित नहीं है। दूसरी तरफ, इस प्रकार की अग्रिम प्रतियां लाइसेंस कार्यालयों में अनावश्यक कार्य बढ़ाती हैं, इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में जब वे मूल आवेदन-पत्र प्रायोजित प्राधिकारियों के माध्यम से भेजते है तो लाइसेंस प्राधिकारियों को आयात आवेदन-पत्रों की अग्रिम प्रतियां न भेजें।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971